# छत्तीसगढ़ विधानसभा

**पत्रक भाग-एक**

## संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-07

**रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 2012**

**(फाल्गुन-29, शक संवत 1933)**


विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 एवं 10 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजू सिंह ठाकुर अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 02, 04 एवं 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे एवं कुलदीप सिंह जुनेजा के स्थान पर क्रमशः डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री धर्मजीत सिंह एवं भजन सिंह निरंकारी अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 37/सी.एस.ई.आर.सी./2011, दिनांक 1 जून, 2011 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संविक्षा) विनियम, 2011 पटल पर रखा।

## 3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर के लिये एम.आर.आई. एवं सीटी स्केन मशीन क्रय करने में विलंब किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामजी भारती, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में जिला मुख्यालय से जालबांधा मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने ग्राम कैथा से ग्राम गुड़रूकला तक पुल-पुलिया निर्माण सहित सड़क निर्माण शीघ्र किये जाने,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य ने डौडकेसरा से ढोढ़ाकेसरा ग्राम तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री भीमा मंडावी, सदस्य ने दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने, एवं

(4) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने शासन द्वारा अधिग्रहित भूमि का अनुपूरक (सप्लीमेन्ट्री) मुआवजा न दिये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

(1) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(2) श्री अग्नि चंद्राकर

## 6. समितियों का निर्वाचन

### (1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

### (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2012 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शनिवार दिनांक 24 मार्च, 2012 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

   उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

## 7. वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री नारायण चंदेल (जारी)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)**

**(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)**

**(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)**

श्री नारायण चंदेल, डॉ.शिवकुमार डहरिया,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)**

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्रीमती रेणुका सिंह, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आय-व्ययक पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या को विचार में लेकर, साथ ही कल दिनांक 20.3.2012 तक चर्चा पूर्ण करने और माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर आने हेतु समय निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में सदन के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की। )

श्री खेदूराम साहू,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आदिवासियों पर लाठी चार्ज किये जाने की घटना पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गई।

डॉ.प्रेमयाय सिंह टेकाम, सर्वश्री रामजी भारती, भजन सिंह निरंकारी, फूलचन्द सिंह, महंत रामसुन्दर दास (अनुपस्थित), अग्नि चन्द्राकर, दीपक कुमार पटेल, दूजराम बौद्ध, डॉ.सुभाऊ कश्यप (अनुपस्थित) नंदकुमार साहू (अनुपस्थित) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की गई।)

श्रीमती सुमीत्रा मारकोले,
श्री धर्मजीत सिंह.

**सायं 6.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 20 मार्च, 2012 (फाल्गुन, 30 शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा